

जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2019 को आयोजित प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में

सर्वप्रथम अपर समाहर्ता, जमुई के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों का अभिवादन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नांकित विन्दुओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी।

1. आज के आहूत बैठक में निम्नलिखित प्रधान लिपिक अनुपस्थित रहे। प्रधान लिपिक जिला नजारत शाखा, जमुई/जिला आपूर्ति शाखा, जमुई/जिला कल्याण शाखा, जमुई/जिला प्रोग्राम कार्यालय, जमुई/प्रखंड कार्यालय जमुई/अंचल कार्यालय चकाई, जमुई/नगर परिषद, जमुई/लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई/ विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, जमुई/जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जमुई/नगर पंचायत कार्यालय, झांझा/जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक सहयोग समिति कार्यालय, जमुई/जिला निबंधन कार्यालय, जमुई/जिला मत्स्य कार्यालय, जमुई/वाणिज्य कर सहायक कर उपायुक्त, जमुई /जिला कृषि कार्यालय, जमुई/जिला उपभोक्ता फॉरम कार्यालय, जमुई/जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, जमुई/जिला योजना कार्यालय, जमुई अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित प्रधान लिपिकों से उपरोक्त बैठक में भाग न लेने के आरोप में अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं प्राप्त होने पर संबंधित दोषी प्रधान लिपिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

2. प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधी:- प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधान लिपिकों के बैठक से संबंधित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण प्रतिवेदन का संकलन में कठिनाई होती है। बैठक की तिथि को ही प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। अतएव सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2रीं तिथि तक जिला स्थापना शाखा, जमुई में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक में नहीं की जायेगी तथा इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान एवं प्रधान लिपिक दोषी होंगे। विशेष परिस्थिति में कार्यालय प्रधान के उपलब्ध नहीं रहने पर प्रभारी पदा0/प्रभारी प्रधान लिपिक अपने हस्ताक्षर से ही प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया करेंगे। प्रतिवेदन के साथ अद्यतन संधारित सामान्य रोकड़ पंजी की छाया प्रति निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. रोकड़ बही का संधारण:- रोकड़ बही के संधारण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में बहुत से कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन संधारित नहीं पाया गया। सभी प्रभारी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि रोकड़ बही की अद्यतन संधारित की जाय। राशि एवं बैंक खाता में रखी राशि में भिन्नता रहने के कारण अनियमितता की संभावना बनी रहती है। निर्देश दिया गया कि अपने-अपने कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. मुख्यमंत्री जनता दरबार/जिलाधिकारी जनता दरबार/लोक शिकायत निवारण, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के तहत लंबित मामला:-

क्र0	कार्यालय/विभाग का नाम	मुख्यमंत्री जनता दरबार	जिलाधिकारी जनता दरबार	लोक शिकायत निवारण मामला	सूचना का अधिकार	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार
1	जिला सामान्य शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य

2	जिला कोषागार शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	जिला परिवहन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	जिला निर्वाचन शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जिला राजस्व शाखा, जमुई	शून्य	18	शून्य	शून्य	शून्य
6	जिला विधि शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	जिला अभिलेखागार, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	जिला नजारत शाखा, जमुई	अप्राप्त				
9	जिला आपूर्ति कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	जिला भू-अर्जन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	जिला कल्याण कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	जिला पंचायत कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	जिला प्रोग्राम कार्यालय, जमुई	अप्राप्त				
14	जिला विकास शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	जिला बन्दोवस्त कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई।	10	शून्य	09	शून्य	शून्य
17	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	जिला योजना कार्यालय, जमुई	अप्राप्त				
20	अनुमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21	भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमुई	शून्य	04	शून्य	शून्य	शून्य
22	प्रखंड कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
23	प्रखंड कार्यालय, बरहट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24	प्रखंड कार्यालय, गिद्धौर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	प्रखंड कार्यालय, चकाई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
26	प्रखंड कार्यालय, झांझा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	प्रखंड कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	प्रखंड कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	प्रखंड कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30	प्रखंड कार्यालय, खैरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31	प्रखंड कार्यालय, सोनो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32	अंचल कार्यालय, खैरा	अप्राप्त				
33	अंचल कार्यालय, चकाई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34	अंचल कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य
35	अंचल कार्यालय, बरहट	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य
36	अंचल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
37	अंचल कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य
38	अंचल कार्यालय, झांझा	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य
39	अंचल कार्यालय, गिद्धौर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40	अंचल कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
41	अंचल कार्यालय, सोनो	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य

42	वन प्रमंडल कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
43	सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई	शून्य	02	03	शून्य	शून्य
44	जिला शिक्षा कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
45	नगर परिषद, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
46	नगर पंचायत, झांझा	प्रतिवेदन अप्राप्त				
47	जिला सहकारिता पदाधिकारी— सह—सहायक निबंधक, स0 स0 जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
48	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
49	जिला निबंधन कार्यालय, जमुई	शून्य				
50	जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
51	जिला गव्य कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
52	जिला मत्स्य कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
53	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
54	खनन कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
55	श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई	शून्य				
56	जिला कृषि कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
57	जिला उद्योग केन्द्र, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
58	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
59	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	07	शून्य	शून्य
60	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
61	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
62	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल कार्यालय, झांझा	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
63	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
64	भवन प्रमंडल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
65	पथ प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
66	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
67	सिंचाई प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
68	सिंचाई प्रमंडल, झांझा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
69	सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
70	सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
71	उत्पाद अधीक्षक, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				

(क) समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार, प्रखंड जनता दरबार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जन शिकायत से संबंधित आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। आगामी प्रधान लिपिक की बैठक में जन शिकायत से संबंधित लंबित मामलो की गहन समीक्षा की जायेगी।

(ख) सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण एवं लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को समय सीमा के अन्दर त्वरित निष्पादन करने की कार्रवाई करेंगे।

5. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित एम0जे0सी/सी0डब्लू0जे0सी0/ एल0पी0ए0 तथा सेवान्त लाभ का लंबित मामला:-

समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के लम्बित संबंधित एम0जे0सी/सी0डब्लू0जे0सी0/एल0पी0ए0 तथा सेवान्त लाभ का लंबित मामला पाया गया।

क्र0	कार्यालय/विभाग का नाम	एम0जे0सी0	सी0डब्लू0जे0सी0	एल0पी0ए0	सेवान्त लाभ
1	उप विकास आयुक्त, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	जिला सामान्य शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	जिला कोषागार शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	जिला परिवहन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	जिला निर्वाचन शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जिला राजस्व शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	जिला विधि शाखा, जमुई	कुल-224			
7	जिला अभिलेखागार, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	जिला नजारत शाखा, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
9	जिला आपूर्ति कार्यालय, जमुई	शून्य	02	शून्य	शून्य
10	जिला भू-अर्जन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	जिला कल्याण कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	01 अंकेक्षण-01
12	जिला पंचायत कार्यालय, जमुई	शून्य	04	शून्य	शून्य
13	जिला प्रोग्राम कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
14	जिला विकास शाखा, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	जिला बन्दोवस्त कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	जिला परिषद, जमुई।	प्रतिवेदन अप्राप्त			
17	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	जिला योजना कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
20	अनुमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	01	शून्य	02
21	भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22	प्रखंड कार्यालय, चकाई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
23	प्रखंड कार्यालय, बरहट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24	प्रखंड कार्यालय, गिद्धौर	शून्य	01	शून्य	03
25	प्रखंड कार्यालय, झांझा	शून्य	01	शून्य	01
26	प्रखंड कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
27	प्रखंड कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	01	शून्य	शून्य अंकेक्षण-1
28	प्रखंड कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	01	शून्य	01
29	प्रखंड कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	01	शून्य	01
30	प्रखंड कार्यालय, खैरा	शून्य	शून्य	शून्य	01
31	प्रखंड कार्यालय, सोनो	शून्य	01	शून्य	02
32	अंचल कार्यालय, खैरा	प्रतिवेदन अप्राप्त			
33	अंचल कार्यालय, चकाई	सी डवलू 01			
34	अंचल कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	01	शून्य	02
35	अंचल कार्यालय, बरहट	शून्य	05	शून्य सूचना-3	शून्य
36	अंचल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
37	अंचल कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	02	शून्य	01
38	अंचल कार्यालय, झांझा	01	01	शून्य	शून्य
39	अंचल कार्यालय, गिद्धौर	शून्य	01	शून्य	01
40	अंचल कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य RTPS-1400 सूचना-2
41	अंचल कार्यालय, सोनो	शून्य	03	शून्य	01
42	वन प्रमंडल कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
43	सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई	01	04	शून्य	01 अंकेक्षण-08 सूचना-2
44	नगर परिषद, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
45	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
46	नगर पंचायत, झांझा	प्रतिवेदन अप्राप्त			
47	जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक स0 स0 जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
48	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
49	जिला निबंधन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	01
50	जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	01
51	जिला गव्य कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
52	जिला मत्स्य कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त			
53	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
54	खनन कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
55	अधीक्षक मद्य निषेध कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
56	जिला कृषि कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
57	जिला उद्योग केन्द्र, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
58	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,	प्रतिवेदन अप्राप्त।			

59	जमुई लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	03 सूचना-01
60	लधु सिंचाई प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	01
61	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
62	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल कार्यालय, झांझा	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
63	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
64	भवन प्रमंडल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
65	पथ प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
66	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
67	सिंचाई प्रमंडल, जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
68	सिंचाई प्रमंडल, झांझा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
69	सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
70	सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
71	उत्पाद अधीक्षक, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त है।			


(क) इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यालय प्रधान एवं प्रधान लिपिक के द्वारा माननीय न्यायालय से संबंधित मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि जिला विधि शाखा, जमुई से सम्पर्क स्थापित कर अपने कार्यालय से संबंधित वादों में प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रति शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। जिला विधि शाखा, जमुई के प्रभारी प्रधान लिपिक को भी निदेश दिया गया कि वाद की स्थिति Up to date रखे तथा एम0जे0सी0 से संबंधित मामले में संबंधित कार्यालय को स्मारित कर ससमय कारण पृच्छा दाखिल कराये।

(ख) सेवान्त लाभ:- समीक्षा के क्रम में सेवान्त लाभ से संबंधित मामले बहुत से कार्यालय में लंबित पाया गया। संबंधित प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित मामले एक पक्ष के अन्दर निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। अगली बैठक में इसकी गहन समीक्षा की जायेगी।

सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों के सेवान्त लाभ के मामलों के बारे में सभी उपस्थित प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि जो कर्मी सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, उन्हें एक महीने पूर्व ही सेवान्त लाभ से संबंधित ग्रुप बीमा की राशि एवं अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान से संबंधित कार्रवाई कर सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी के पेंशन से संबंधित कागजात महालेखाकार, बिहार, पटना को ससमय भेजने का निर्देश दिया गया। सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मी का भविष्य निधि कटौती विवरणी अविलम्ब जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया।

अपर समाहर्ता, जमुई द्वारा समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09.12.2019 को लोकायुक्त, बिहार, पटना में पुनः सुनाई की तिथि निर्धारित है। अगले प्रधान लिपिक की बैठक में विभागवार सेवान्त लाभ के मामले की गहन समीक्षा की जायेगी। उसके पूर्व सभी संबंधित कार्यालय प्रधान/प्रधान लिपिक अपने-अपने कार्यालय के सेवान्त लाभ के लंबित मामले की समीक्षा कर निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


जिला पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापांक- 16(मु०) /स्था०, दिनांक 14/10/2019


प्रतिलिपि:- सभी प्रधान लिपिक, जिला जमुई को सूचनार्थ एवं यथाशीघ्र अनुपालनार्थ

प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी कार्यालय प्रधान, जिला जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जमुई को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी
14/10/19
जमुई।